न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–215 सन् 2017

चंदेश्वर प्रसाद राय वगैरह..............................वादीगण।

बनाम

मधुबाला देवी वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 15.06.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 01 नियम 10 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 25.05. 2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने यह मुकदमा स्पेस्फिक परफॉरमेंश ऑफ कन्टैक्ट एक्ट के तहत दाखिल कर निवेदन किया है कि शेष 15,00,000/–रूपया लेकर प्रविवादी विधिवत बैनामा वादीगण तकरारी एराजी के निश्वत कर देवे। प्रतिवादीगण इस वाद में उपस्थित होकर बयान तहरीरी भी दाखिल किया है। वादी उक्त वाद में तकरारी एराजी के केता और बिकेता जिनका नाम आवेदन में दाखिल किया गया है उसे प्रतिवादी के खाने में दर्ज करना अावश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी के खाने में केता वो बिकेता का नाम दर्ज करने कृपा प्रदान की जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी आवेदन दाखिल के उक्त वाद में केता और बिकेता को प्रतिवादी के खाने में प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि आवेदन में लिखित बैनामा को प्रतिवादी मुकदमे के कार्यवाही के दौरान अमल में लाया है। ऐसी परिस्थति में उक्त वाद में केता वो ब्रिकेता जिनका नाम आवेदन में दर्ज है उसे प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से केता और बिकेता को प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 25.05.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक....................को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।